फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मुकेश पालीवाल निवासी गॉव केसूली, ब्रह्मपुरी पो0 केसूली तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 57 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांकः— राजस्व / RTI / 2025 / 834 दिनांक 11.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत आवेदक मुकेश पालीवाल निवासी गांव केसूली ब्रह्मपुरी पो0 केसूली तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर तहसील देलवाड़ा की होने से उपलब्ध्ध नही करवाई जा सकती है प्रार्थी को ऑनलाईन आरटीआई आवेदन एवं दुरभाष पर सूचना दे दी गई। उक्त क्रम में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :— आरटीआई / 2025 / 648 दिनांक 14.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 1 के संबंध में ग्राम केसूली तहसील देलवाड़ा के खसरा नं. 4 की जमाबन्दी भू प्रबन्ध संवत् 2031, 2060 से 2063 की छाया प्रति एवं संवत् 2060 से 2063 खाता संख्या 399, 401 संवत् 2068 से 71 खाता संख्या 426 संवत् 2076 से 2079 खाता संख्या 491 व 494 की प्रतिलिपि संलग्न है, बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध में भू—प्रबन्ध जमाबन्दी संवत् 2021 में भी यह भूमि चारागाह दर्ज है अन्य कोई प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 में दी गयी प्रतिलिपि में उपलब्ध है अन्य कोई रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, बिन्दु संख्या 6 की सूचना के संबंध में वर्तमान में अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं बिन्दु संख्या 7 की सूचना के संबंधित रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट एवं	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई एवं बिन्दु 2 से 7 की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध करवा दी गई तथा शेष सूचना कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं से उक्त बाबत प्रार्थी को अवगत करा दिया जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। तथा अपीलार्थी क़ो निर्देशित किया जाता है कि शेष सूचना संबंधित कार्यालय/विभाग से नियमानुसार आवेदन कर प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)